



6471

दस्तावेज़— 2286709
2286710

नव चंतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 5625/05/76/एक/2016-17
सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद—गोरखपुर।
विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु0 में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	4755000100021252	IFSC Code PUNB0475500	179.595 (धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 19 घोषीपुरवा में संतोष घोषी के घर से डांगाली दादा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.965
2	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 19 गायत्रीपुर में मनरोड से बृजेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	7.411
3	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 19 घोषीपुरवा में श्री रामश्री यादव के घर से श्री जीउत पाठक के घर होते हुए श्री विनय श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.226
4	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 19 घोषीपुरवा मेनरोड से मथुरा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.871
5	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 19 घोषीपुरवा पिच रोड से आशीष के घर होते हुए महेश के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.720
6	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 19 घोषीपुरवा पिच रोड से राजबंशी ट्रेडर्स तक एवं कमल के घर से दिनेश के घर होते हुए सुदामा के घर होते हुए बिकाउ के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.250
7	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 19 घोषीपुरवा में रामकुमार कल्मीजिया के घर से दिलीप कल्मीजिया के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.038
8	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 09 करीम नगर में आमिर के घर से बेवन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.884
9	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 09 करीम नगर में रामदरश के घर से दुर्गा पासवान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	14.658
10	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 09 करीम नगर में सुरेन्द्र के घर से मारकण्डेय चतुर्वेदी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण कार्य।	11.579
11	गोरखपुर	मलिन वस्ती-83 बजट	न0नि�0 गोरखपुर	वार्ड सं0 09 करीम नगर में गयक गुप्ता के घर से भोले लाल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.265



6572

दूरभाष— 2296709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
12	गोरखपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 09 करीम नगर में सुनीता कुमारी के घर से विनोद साही के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	7.425
13	गोरखपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 09 करीम नगर में सौरभ गैस सर्विस से एस०के० श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.265
14	गोरखपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 09 करीम नगर में सुमन के घर से मुन्ना के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.254
15	गोरखपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 09 करीम नगर में रामआसरे के घर से सुनील के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.937
16	गोरखपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 9 करीम नगर में बालम के घर से मनोज के घर होते हुए विमल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.756
17	गोरखपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 09 करीम नगर में सी०पी० से के०के० के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.643
18	गोरखपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 09 करीम नगर में ग्रीन हास्पिटल से रेखा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.656
19	गोरखपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 09 करीम नगर में पिच रोड से हरि सदन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.117
20	गोरखपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 09 करीम नगर में शंकरा चेरी के घर से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.675
	योग				179.595

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०पी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

- 1— उप्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०पी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रत्यावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



64/2

दूरभाष— 2286709
2286710

नव चेतना कंप्ल., 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा। शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रिस्ते में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक